

लोक सुनवाई का वृत्त

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 04 लेन बाकरपुर-मानिकपुर सेक्सन के निर्माण हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 22.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार, प्रखंड कार्यालय, दरियापुर, जिला-सारण में मो० मुमताज आलम अपर समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में लोक-सुनवाई की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/2/2023-IA.III, dated 21.02.2023 के आलोक में लोक-सुनवाई की गयी। लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 20.08.2023 एवं 21.08.2023 को Miking द्वारा भी लोक-सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। प्रभावित क्षेत्र के मुखिया के माध्यम से भी लोक-सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। लोक-सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक-सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा भी लोक-सुनवाई के उद्देश्य तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री मोईद अहमद ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम-जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित राजमार्ग सारण जिला के 22 गाँव से होकर गुजरती है। वर्तमान परियोजना का दायरा सारण जिले के बाकरपुर गाँव के पास NH-19 के सीतलपुर बाईपास चैनेज-0.000 से चैनेज-38.813 मानिकपुर गाँव के पास मुजफ्फरपुर जिले में एसएच-74 में विलीन हो जाती है। सारण जिला में 0.00 से 18.077 किमी तक गुजरेगी। यह एक हरित क्षेत्र संरक्षण है।

प्रस्तावित सड़क परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में दूरी और यात्रा के समय को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को जोड़ना है। यह परियोजना क्षेत्रों के विकास एवं इससे संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराती है।

इस परियोजना के अनेकों लाभ हैं:-

- बाकरपुर-मानिकपुर खंड NH-139W टर्मिनल का हिस्सा है, यह NH-727 से जुड़कर समाप्त हो जाएगा जो सीधे नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। यह राजमार्ग देश के अंदर माल ढुलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

- NH-139W राज्य की राजधानी पटना और अन्य जिलों को जोड़ता है और हाजीपुर, सारण, वैशाली, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से होता हुआ नेपाल सीमा की ओर जाता है।
- यह परियोजना फीडर मार्ग है जो पटना (राज्य की राजधानी) और बेतिया (प्रमुख शहर) के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न शहरों से जयप्रकाश हवाई अड्डे (पटना) को जोड़ेगी। यह दो NH (NH-19 और NH-727) के बीच एक लिंक रोड के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण पश्चिम बिहार की ओर यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा, सीतलपुर और लालगंज के बीच गंडक नदी पर कोई बड़ा पुल नहीं होने के कारण, इन क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और ज्यादा समय भी लगता है।
- कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल (गंडक नदी, हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर मेला, अशोक स्तंभ स्तूप, बुद्ध स्तूप, जैन मंदिर, महात्मा गांधी सेतु और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र) प्रस्तावित बाकरपुर-मानिकपुर संरेखण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

यह परियोजना राजमार्ग की प्रस्तावित लम्बाई (सारण जिला में) लगभग 18.077 किलोमीटर है। सारण जिला में कुल अधिग्रहित भूमि 99.2290 हेक्टेयर, प्रभावित वन भूमि 0.9545 हेक्टेयर है। संरेखण किसी वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से नहीं गुजरता है। परियोजना के दौरान सारण जिला में आर.ओ.बी./आर.यू.बी. (01), छोटे पुल (05), पुलिया-(50), अंडरपास (01) का निर्माण प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रू0 1344.46 करोड़ होगा।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)-परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित है:-

1. देशी वनस्पतियों और जीवों को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ वृक्षारोपण I.R.C.SP21 2009 के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनो तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को नियंत्रण उपकरणों से संचालित किया जाएगा। और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद से सहमति प्राप्त की जाएगी।

2

निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण सक्षम पदाधिकारी भू-अर्जन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास और स्थानांतरण (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 के उचित प्रावधानों और राज्य सरकार के संशोधनों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर लागू आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 1 अनुसार मुआवजे का निर्धारण, अनुसूचि 2 अनुसार पुनर्वास और स्थानांतरण सहायता का निर्धारण किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री योगेन्द्र प्रसाद मगरपाल- इनके द्वारा सूचित किया गया कि जमीन मालिक को अभी तक नोटिस नहीं मिला है। सबसे पहले जमीन का डी-मार्केशन होना चाहिए। सलाहकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी व्यवस्था बतायी गयी है, उसका अनुपालन होना चाहिए।	सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि जमीन का डि-मार्केशन हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित सभी जमीन मालिकों को विधिवत नोटिस देने के बाद ही जमीन अधिग्रहण किया जायेगा। साथ ही इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बताये गये उपायों को संबंधित विभाग द्वारा अनुपालन कराया जायेगा।
2.	श्री कौशल किशोर सिंह पैक्स अध्यक्ष दरिहारा, श्री दसई सिंह बाकरपुर, श्री रामलखन सिंह बाकरपुर, श्री बिरेन्द्र सिंह बाकरपुर, श्री रामायण कुमार सरैया- इनके द्वारा अवगत कराया गया कि दरिहारा पंचायत में एक 10+2 स्तरीय एक विधालय है, परन्तु इनके द्वारा नक्शा में दो भाग में बाँट दिया गया है। विधालय प्रांगण के बीच से सड़क निकाला गया है जिसके कारण विधालय का अस्तित्व बर्बाद हो रहा है।	इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा उपस्थित महानुभावों को अवगत कराया गया कि आपकी भावनाओं को अंकित कर अग्रसारित की जायेगी साथ ही अनुरोध किया जायेगा कि वर्तमान सड़क एलाईनमेन्ट के संबंध में पुनः विचार किया जाये जिससे विधालय का अस्तित्व सुरक्षित रहें। इस संबंध में सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि लोगों को एवं विधार्थी को कोई असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल करते हुए विशेष परिस्थिति में अंडर पास का प्रावधान किया जायेगा। परियोजना लोगों की सुविधा, लाभ एवं भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही बनायी जाती है।
3.	श्री कामख्या नारायण भटपुरा, श्रीमति राधिका देवी नयका टोला मानपुरा, श्री प्रेम कुमार साह	इस संबंध में सलाहकार द्वारा लोगों को अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान सरकारी मूल्य

	बाकरपुर— मेरा जमीन रेलवे भी गया है और फिर सड़क में भी जा रहा है, जिसके कारण मेरे पास खेती करने के लिए जमीन कम पड़ रहा है।	के लगभग चार गुणा राशी प्रभावित लोगों को भूगतान किया जाता है, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार अन्य स्थल पर मकान या जमीन खरीद सकें।
4.	श्री भूषण राय मानपुरा दरियापुर— जमीन का भूगतान किस दर से किया जायेगा। हमलोग चार भाई हैं। भूगतान किसके नाम से किया जायेगा।	सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी दस्तावेज में जिस भाई का नाम अंकित होगा उन्ही के नाम से भूगतान की जायेगी। वे आपस में समाजस्य बैठकर भूगतान की गयी राशी का आपस में बटवारा करेंगे।
5.	श्री अमरनाथ राय कोन्हवा— मेरा जमीन टोपो लैण्ड में पड़ता है। जमीन से संबंधित कोई कागजात मेरे पास नहीं है। इसका क्या उपाय किया जायेगा।	अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जमीन से संबंधित भूगतान की कारवाई भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा की जाती है। असंतुष्ट होने पर अपनी बात/शिकायत जिला के वरीय पदाधिकारी को दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यह परियोजना सारण जिले के बाकरपुर गाँव के पास NH-19 के सीतलपुर बाईपास से मानिकपुर गाँव के पास मुजफ्फरपुर जिले में एसएच-74 में मिलेगी। यह एक ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट है, जो मुख्य आवादी से हट कर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। सरकार जमीन अधिग्रहण करती है एवं मुआवजा देती है। मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार दी जाती है। मुआवजा हेतु अलग से कैंप लगाकर भूमि विवाद को सुलझाया जायेगा। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक/समाजिक विकास के लिए एवं सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जाएगा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बताये गये उपायों को सुनिश्चित कराई जायेगी।






अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक-सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक-सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.पर्वद, मुजफ्फरपुर


 अपर समाहर्ता
 सारण

उपस्थिति सूची

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण, सारण जिला के बाकरपुर गांव से मुजफ्फरपुर जिला के मानिकपुर गांव तक (कुल लम्बाई 38.813 किमी) का निर्माण से संबंधित लोक-सुनवाई दिनांक 22.08.2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे, प्रखण्ड सभागार, प्रखण्ड कार्यालय, दरियापुर, जिला-सारण में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अपर समाहर्ता	सारण	 22/8/23
2.	एस. एन. ठाकुर	क्षेत्रीय कार्यालय, सारण जिला प्रमुख निर्माण प्रखण्ड, मुजफ्फरपुर	 22/8/2023
3.	जी. एम. डी. आर्. डी.	सारण	 22/8/23
4.	PUNEET KUMAR	NHAI, PIO-Motihari	Puneet Kumar 22-08-2023
5.	Pranav Kumar	NHAI, PIO Motihari	Pranav 22/08/2023
6.	MOEED AHMED	LASH, Delhi (NHAI Consultant)	
7.	Pradeep Tyagi	NHAI Representative	Tyagi
8.	अमित कुमार	मोसिया (बाकपुर)	Amit
9.	Amar Mathi Raj	मोसिया (बाकपुर)	
10.	सुखराम राय	मोनपुरा	सुखराम राय
11.	श्रीम अच्युत दास गाँव 292 दास	मोनपुरा मोनपुरा	श्रीम अच्युत दास गाँव 292 दास

12.	मुकेश राय	मनपुरा	मुकेश राय
13.	लोकेश कुमार	मनपुरा	Lokesh Kumar
14.	Surender Kumar Sah	Bekar Pur	Surender Kumar Sah
15.	दशरथ सिंह	वाकरपुर	दशरथ सिंह
16.	वीरेंद्र सिंह	चौसियां	वीरेंद्र सिंह
17.	सुभाष कुमार	लाकरपुर	सुभाष कुमार
18.	सालू कुमार	वाकरपुर	सालू कुमार
19.	वलिराम चौधरी	वाकरपुर	वलिराम चौधरी
20.	रामजनमसिंह	गोवीन चक	रामजनमसिंह
21.	धारज कुमार	कालाकरपुर	धारज कुमार
22.	Niraj Kumar Singh.	Darikhara	Niraj Kumar Singh.
23.	Jitender Singh	Darikhara	Jitender Singh
24.	BITTU KUMAR	KONHIA	BITTU KUMAR
25.	संदीप कुमार	वाकरपुर सुलगानपुर	संदीप कुमार
26.	अजित कुमार	वाकरपुर सुलगानपुर	अजित कुमार

27.	Amalabhai Amalabhai	2921E1MPL	Amalabhai
28.	Arun Kumar Singh	Sultanpur	Arun
29.	Kundan Kumar S/O - Ramjananddas	Mampurva	Kunde
30.	Birendra Kumar Singh S/O LATE. NATHU NATH Singh	Mampurva	Birendra Kumar Singh
31.	अरवि	मपुरा	—
32.	मीहन कुमार महरा	चौसीचा	मीहन कुं महरा
33.	राजपाल सिंह	चौसीचा	राजपाल सिंह
34.	पंकज कुमार राजकुमार महरा	मंगरपाल मुर्वा	पंकज कुमार राजकुमार महरा
35.	राजकुमार महरा	मंगरपाल मुर्वा	राजकुमार महरा
36.	Rahul Kr. Thakur	Khushhalpur.	Rahul
37.	अरवि सिंह	अरवि	अरवि सिंह
38.	अरवि पाठ	अरवि	अरवि पाठ
39.	कामता प्रसाद सिंह	दरिआ - चरुमुठा	कामता प्रसाद सिंह
40.	मन मराच	दरिआ मुनपुरा	
41.	दरिआ म	दरिआ मुनपुरा	मनपुरा

42.	पुजन राय दरि पपुरा	मनपुरा	
43.	पुनका दास	मनपुरा	
44.	राजकुमार राय	मनपुरा - यहीला	
45.	राज राय		
46.	दिलीप राय		
47.	नपाला राय		
48.	उमेश राय		
49.	रघीका देवी		
50.	सुधाप राय		
51.	उमेश राय		
52.	रघुवीर राय		
53.	बालू लाल राय		
54.	उमेश राय		
55.	बिनेश कुमार	जंगरपाल	
56.	विपिन कुमार	मंजारपाल कुर्ण्य	Umesh Kumar. Vijay Kumar

57.	सत्येन्द्र प्रब्राम	मनपुरा नया टोला	सत्येन्द्र प्रब्राम 9939270366
58.	नितेश कुमार	मनपुरा नया टोला	नितेश कुमार 7338405458
59.	विजेश राय	मनपुरा नया टोला	9210266923
60.	राजेश कुमार	सकलामा	8651601434
61.	दुर्गा साहू	कोटवा	दुर्गा साहू
62.	सनोज कुमार शिमानपुरा नया टोला		7667816418
63.	संजीव राय	मानपुरा नया टोला	943438622
64.	रमेश राय	मनपुरा नया टोला	829425858
65.	रंजीत कुमार	मानपुरा	9113475772
66.	राज कुमार राय	मानपुरा	8757756394
67.	उपेन्द्र राय	दरिहरी उग्राल	7739994275
68.	Ramayan Kumar	haraiya	8825212440
69.	प्रीतिका कुमारी	सुशहालपुर	
70.	Vikash Kumar	SARNARAYAN DARIHARA	7352306081
71.	Sitendar Kumar	Darihar bhua	7779872459

72.	मनोज कुमार सिंह	खुशीदासपुर	8235886474
73.	पद्म रानी	मानपुरा	7643886251
74.	मनिष कुमार	दरवाँ मंगलपुरा	9525065325
75.	आर्य लक्ष्मी	वाणरपुर मानपुरा	6801929340 or सम्पर्क
76.	शिवलाल शर्मा	वाणरपुर मानपुरा	829944360 93
77.	दीपिका कुमारी	वाणरपुर मानपुरा	700423265
78.	शिवनाथ सिंह	वाणरपुर मानपुरा	8709307710
79.	अरुण कुमार पंडित	वाणरपुर मानपुरा	9504575141
80.	अलका शर्मा	वाणरपुर	8083352998
81.	दीपिका कुमारी	वाणरपुर	9263337003
82.	अमनाथ राम	मानपुरा	
83.	दीपिका शर्मा	मानपुरा	9601042436
84.	Pradip Kumar	ManPura	
85.	शिवलाल शर्मा	मानपुरा	9048871954
86.	दीपिका शर्मा	मानपुरा	9097163760

87.	Labh Singh	Maharaja	8578939586
88.	विश्वराम	परिहार युवा	95465555
89.	अशोक राम	परिहार निवास	7494039254
90.	विजय कुमार	खुशहालपुरा	6202744899
91.	दीपू कुमार	परिहार निवास	8757814595
92.	पपू कुमार	परिहार निवास	7250573296
93.	राहुल कुमार	परिहार निवास	8235713155
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			